फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : उदयसिंह बनाम प्रतिवादी : भभूतसिंह

किस्म मुकदमा :वाद प्रकरण संख्या : 265 / 19

दिनांकः 18.03.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के वारिसान की नामकायमी हेतु नियत है।वादी के अधिवक्ता को नामकायमी कराने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए। पूर्व आदेशिका दिनांक 05.09.2023 को अंतिम अवसर भी दिया गया एवं आदेशित किया गया कि नामकायमी नहीं कराने पर प्रकरण स्वतः अबेट समझा जावेगा। बावजुद इसके वादी अधिवक्ता द्वारा नामकायमी नहीं कराई गई, ना ही आज दिनांक को उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई, किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवम् उक्त वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के अर्न्तगत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh [illegible]
Punadia
Date: 2024.05.29 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

रमेश [illegible]ाड़िया आर.ए.एस.
सहायक [illegible] फा.ट्रै.
गि[illegible] उदयपुर